GOVT. COLLEGE KULLU

Dhalpur Kullu. (H.P.) 175101
E-mail: gckullu-hp@nic.in
Phone: 01902-222568

Self-Assessment Report (SAR) for Annual Internal Ranking (AIR) of Govt. Colleges of Himachal Pradesh for the Academic Session 2024-25

Criterion 7- Miscellaneous

7.4 Local Audit paras settled up to date
Yes, Local Audit paras are settled up to date.

संख्याःई0डी0एन0–एच(5)सीच(15)1/66 लेखा परीक्षा
उच्चत्तर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार
दिनांकः शिमला–171001 जुलाई, 2022

सेवा में

प्रधानाचार्य
1. राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी, जिला–कांगड़ा हि0प्र0
2. राजकीय महाविद्यालय देहरी, जिला–कांगड़ा हि0प्र0
3. राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला–चम्बा हि0प्र0
4. राजकीय महाविद्यालय तीसा, जिला–चम्बा हि0प्र0
5. राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला–बिलासपुर हि0प्र0
6. राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला–हमीरपुर हि0प्र0
7. राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, जिला–कुल्लू हि0प्र0
8. राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला–शिमला हि0प्र0
9. राजकीय महाविद्यालय ऊना, जिला–ऊना हि0प्र0

विषयः– अवधि 04/2021 से 03/2022 के दौरान जारी किए गए राजकीय महाविद्यालयों के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला के पत्र संख्या 1–562/2013–फिन(एल0ए0)खण्ड–2 (पार्ट) 4172 दिनांक 24–06–2022, के सन्दर्भ में आपके कार्यालयों के लेखों का अवधि 04/2021 से 03/2022 तक के दौरान जारी किए अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर गम्भीर अनियमितताओं के संबध मे इस निदेशालय को प्रेषित किये गये है।

इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय से संबधित उक्त संकलित समीक्षा प्रतिवेदन मे दर्शाई गई गम्भीर अनियमितताओं पर छात्र निधि लेखों की कार्यप्रणाली में सुधार लानें के लिये तथा वित्तीय स्थिति को मजबूत बनानें के लिये सुझाव /सिफारशों के सुझावानुसार, जो कि तुरन्त प्रभाव से आपके कार्यालय को इसकी अनुपालना करने के लिये प्रेषित किया जा रहा है। ताकि भविष्य में अंकेक्षण आपतियों पर शत–प्रतिशत निपटारा किया जा सकें।

संलग्नःयथोपरि

संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0),
शिक्षा निदेशालय(उच्चत्तर),
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश। ठाकंन संख्याः सम दिनॉक शिमला– जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009
2. रक्षक नस्ति ।

हस्ता/-
(संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0),
शिक्षा निदेशालय(उच्चत्तर),
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
एस.डी.ए. कम्पलैक्स, ब्लाक नं0 38,
कसुम्पटी, शिमला–171009

04/2021 से 03/2022 के दौरान
जारी किए गए राजकीय महाविद्यालयों के
अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कुसुम्पटी, शिमला–171009

अवधि 04/2021 से 03/2022 के दौरान जारी किए गए राजकीय महाविद्यालयों के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन

01 **प्रस्तावना**

राजकीय महाविद्यालयों के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण कार्य, इस विभाग को हि0प्र0 शिक्षा संहिता, 2012 के आर्टीकल संख्या 4.9 बी के अन्तर्गत आबंटित किया गया, तदानुसार राजकीय महाविद्यालयों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग के द्वारा किया गया। अवधि 04/2021 से 03/2022 के दौरान निम्न वर्णित राजकीय महाविद्यालयों का अंकेक्षण कार्य निष्पादित करके अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए:–

क्र0 स0	राजकीय महाविद्यालय का नाम	अंकेक्षण अवधि	अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करने की तिथि
1	राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी, जिला कांगड़ा	06/2016 से 03/2020	22.06.21
2	राजकीय महाविद्यालय देहरी, जिला कांगड़ा	04/2015 से 03/2020	28.08.21
3	राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला चम्बा	04/2015 से 03/2020	21.06.21
4	राजकीय महाविद्यालय तीसा, जिला चम्बा	04/2015 से 03/2021	08.11.21
5	राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला बिलासपुर	04/2014 से 03/2020	16.07.21
6	राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर	04/2017 से 03/2020	23.07.21
7	राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, जिला कुल्लू	04/2014 से 03/2021	04.10.21
8	राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला शिमला	06/2014 से 03/2021	22.03.22
9	राजकीय महाविद्यालय ऊना, जिला ऊना	04/2016 से 03/2021	04.03.22

			निविदाओं के आधार पर खरीद न करने बारे	18	5.01
5	राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला बिलासपुर	04/2014 से 03/2020	छात्र निधियों से अनियमित व्यय	13	3.25
			नियमानुसार निविदाएं एकत्र न करके किया गया अनियमित व्यय	14	0.61
			मिश्रित निधि से ऋण के रूप में दी गयी राशियों की वसूली न करना	15	0.74
6	राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर	04/2017 से 03/2020	प्रवेश शुल्क व ट्यूशन फीस के रूप में प्राप्त राशि को सामान्य रोकड़ बही में दर्ज किए बिना लेखांकन के बगैर राजकीय कोष (Treasury) में जमा करवाना	8	1.69
			छात्र निधि से क्रय प्रत्येक सामग्री का लेखांकन संस्थान के स्टॉक रजिस्टरों में न करने बारे	14	2.18
7	राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, जिला कुल्लू	04/2014 से 03/2021	सावधि जमा को परिपक्वता की तिथि से पहले निकासी करने के फलस्वरूप ब्याज की हानि	5 (ख)	2.49
			शैक्षणिक भ्रमण, वार्षिक समारोह व म्युचुअल बैनीफिट शीर्षकों के अन्तर्गत छात्रों से अनाधिकृत वसूली	11	1.69
			मिश्रित निधि से NACC टीम के यात्रा भत्ता, मानदेय तथा आकस्मिक व्यय पर अनियमित भुगतान	14 (ख)	1.61
			औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	16	38.82
8	राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला शिमला	06/2014 से 03/2021	छात्रों से विश्वविद्यालय विकास शुल्क की कम वसूली	6	0.17
			हि॰ प्र॰ विश्वविद्यालय के पक्ष में भुगतान न करने बारे	11	0.28
9	राजकीय महाविद्यालय ऊना, जिला ऊना	04/2016 से 03/2021	सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशियों को दिनांक 31.03.2021 तक रोकड़ बहियों के अन्तशेषों में न दर्शाना	07	232.12
			सावधिक निवेश के अंतर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बहियों में दर्ज न करना	08	53.64

4 सुझावः—

राजकीय महाविद्यालयों की छात्र निधियों के लेखों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव/सिफारिशों को अग्रेषित किया जाता है:—

1. रोकड़ बही को नियमानुसार उचित प्रकार से लेखांकित किया जाए।
2. समस्त निधियों की वसूली शिक्षा संहिता में दिए गए प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए दिशा—निर्देशों के अनुसार करनी सुनिश्चित की जाए।
3. समस्त निधियों की वसूली गई राशियों को यथासमय रोकड बही में दर्ज करके तदानुसार अविलम्ब बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए छात्र निधियों में पाई गई अधिशेष (surplus) राशियों को सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि अधिक ब्याज अर्जित हो सके ।
5. रसीदों का स्टॉक लेखा यथा प्राप्ति व निर्गमन स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार किया जाए व संस्थाध्यक्ष द्वारा आन्तरिक जांच को सुदृढ़ करके स्वयं भी समय—2 पर उचित जाँच की जाए ताकि किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।
6. बकाया अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार किया जाएं व प्रदान अग्रिमों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि स्वच्छ एवं सही वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सके।
7. छात्र निधियों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित राशि को प्रत्येक वर्ष व्यय किया जाए ताकि छात्रों को महाविद्यालय की छात्रों से सम्बन्धित गतिविधियों से लाभान्वित किया जा सके।
8. सामान का क्रय आवश्यकतानुसार ही सरकार द्वारा समय—2 पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाए व सामान की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के पश्चात समस्त खरीदे गए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके ही आवश्यक भुगतान किया जाए।
9. स्टॉक में पाए गए सामान का वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।
10. अंकेक्षण द्वारा उठाई गई अंकेक्षण आपत्तियों का शत—प्रतिशत निपटारा शीघ्र करवाना सुनिश्चित किया जाए जिससे लेखों में आवश्यक सुधार हो सके।

(अनिल शर्मा)
उप निदेशक,
हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं—0177—2620881